फाइल नं0-71-1002/15/2022

110/2023/I/363840/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 07 अगस्त, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ में एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-57/2023/I/296217/2023-71-1002/15/2022, दिनांक 30.03.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष निम्नानुसार कॉलेजों हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए केन्द्रांश तथा राज्यांश के रूप में कुल रू0 109.93 करोड़ अवमुक्त की गयी:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	मेडिकल कालेज का नाम	स्वीकृत सीटों की संख्या	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत	केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	राज्यांश के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (40 प्रतिशत)	कुल योग (केन्द्रांश+राज्यांश)
	2		3	4	5	6
1	राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी	50 (EWS)	60.00	9.94	6.63	16.57
2	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर	60(EWS)	72.00	11.91	7.93	19.84
3	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ	100	120.00	19.87	13.25	33.12
4	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा	72	86.39	14.30	9.53	23.83

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर	50(EWS)	60.00	9.94	6.63	16.57
	योग-			**65.96**	**43.97**	**109.93**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष निम्नानुसार कॉलेजों हेतु केन्द्रांश तथा राज्यांश के रूप में वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	मेडिकल कालेज का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत	केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	राज्यांश के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	कुल योग (केन्द्रांश+राज्यांश)
1	2	3	4	5	6
1	झांसी	60.00	4.46	2.97	7.43
2	कानपुर	72.00	5.36	3.57	8.93
3	मेरठ	120.00	8.93	5.95	14.88
4	आगरा	86.39	6.43	4.28	10.71
5	गोरखपुर	60.00	4.46	2.97	7.43
	योग-	398.39	29.64	19.74	49.38

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.06.2022 के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेजों में यू0जी0 सीटों की वृद्धि के लिए अवमुक्त की जा रही धनराशि को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित की जायेगी। कालेजो को उक्त धनराशि का हस्तान्तरण शासन द्वारा दिये गये निर्देशो के सापेक्ष किया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश एंव राज्यांश की धनराशि को शासन द्वारा अग्रिम आदेशों के उपरांत ही व्यय की जायेगी।
5. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 29,64,00,000 (रुपये उन्तीस करोड़ चौंसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050127 एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि (के.60-रा.40/के.) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 19,74,00,000 (रुपये उन्नीस करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058927 एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-88-दस-2023-24, दिनांक 01 अगस्त, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ।
5. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in